

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 16/10/2025

क्रमांक / 696 / समग्र शिक्षा / पीएम श्री / 2025-26

// विज्ञापन //

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग., रायपुर के पत्र क्र./2050/समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2025 रायपुर दिनांक 30/06/2025 एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. का पत्र क्रमांक 2007/समग्र शिक्षा/पीएमश्री योजना/2025/रायपुर दिनांक 26.06.2025 के निर्देशानुसार जिले में संचालित 16 पीएमश्री विद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए अंशकालीन योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक तथा संगीत प्रशिक्षक की सेवाएं लिया जाना है। सेवाएं अधिकतम 31 मार्च 2026 तक के लिए होंगी, इस हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2025 को शाम 05:00 तक कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कोरबा के डा. आफिस के ऊपर प्रथम तल, में स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।

जिले में संचालित पीएमश्री विद्यालय जिनमें योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक तथा संगीत प्रशिक्षक की स्वीकृत पदों की जानकारी :-

क्र.	वि.ख. का नाम	विद्यालय का नाम	खेल/योगा प्रशिक्षक हेतु स्वीकृत पद	म्यूजिक इंस्ट्रक्टर हेतु स्वीकृत पद
1	करतला	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय करतला	1 (अना.)	1 (अना.)
2	करतला	पीएमश्री शा.प्रा.शा. पकरिया	1 (अना.)	1 (अना.)
3	कोरबा	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिलकेजा	1 (अना.)	1 (अना.)
4	कोरबा	पीएमश्री शा.प्रा.शा. कोरबा टाउन, कोरबा	1 (अना.)	1 (अना.)
5	कोरबा	पीएमश्री शा. प्रा.शा. चाकामार	1 (अना.)	1 (अना.)
6	कोरबा	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालको	1 (अना.)	1 (अना.)
7	कटघोरा	पीएमश्री शा.प्रा.शा. ज्योतिनगर	1 (अना.)	1 (अना.)
8	कटघोरा	पीएमश्री शा.प्रा.शा. कुसमुण्डा प्रो.	1 (अना.)	1 (अना.)
9	कटघोरा	पीएमश्री शा.प्रा.शा. बसंतपुर	1 (अना.)	1 (अना.)
10	कटघोरा	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दीपका	1 (अना.)	1 (अना.)
11	कटघोरा	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बाकीमोंगरा	1 (अना.)	1 (अना.)
12	कटघोरा	पीएमश्री एकलव्य छुरी कला	1 (अना.)	1 (अना.)
13	पाली	पीएमश्री शा.प्रा.शा. सैला	1 (अना.)	1 (अना.)
14	पाली	पीएमश्री शा.प्रा.शा. पाली 2	1 (अना.)	1 (अना.)
15	पोड़ीउपरोड़ा	पीएमश्री शा.प्रा.आ.शा. मेरई	1 (अना.)	1 (अना.)
16	पोड़ीउपरोड़ा	पीएमश्री स्वामी आत्मानंद हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पोड़ीउपरोड़ा	1 (अना.)	1 (अना.)

● अंशकालीन योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएं :-

- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पी.एड.)/योग शिक्षा संबंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री।
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में योगा/खेल प्रशिक्षक/शिक्षक के रूप में कार्य अनुभव पर अंको का निर्धारण न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष पर प्रत्येक एक वर्ष पर 1 अंक निर्धारित है। (अधिकतम 10 अंक)।

- अंशकालीन संगीत प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य अहर्ताएं :-
- 01. अंशकालीन संगीत प्रशिक्षक हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष अनिवार्य है।
- 02. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में संगीत शिक्षक के रूप में कार्य अनुभव पर अंको का निर्धारण न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष पर प्रत्येक एक वर्ष पर 1 अंक निर्धारित है। (अधिकतम 10)
- नियम एवं शर्तें :-
- 01. छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। (स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दिया जायेगा)
- 02. आवेदक को प्रत्येक पीएमश्री स्कूल हेतु पृथक-पृथक आवेदन पृथक-पृथक लिफाफे में करना होगा। एक विद्यालय हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अंतिम प्राप्त आवेदन को सही मानते हुये शेष आवेदन को निरस्त माना जायेगा।
- 03. स्वीकृत 01 पद पृथक पृथक प्रत्येक पीएमश्री विद्यालयों में होने के कारण अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है।
- 04. कार्य पर रखे जाने की अवधि में वेतनमान छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान नहीं होगा, बल्कि भारत सरकार द्वारा अनुशंसित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में स्वीकृति अनुसार सेवा प्रदत्त योग/खेल शिक्षक/संगीत प्रशिक्षकों को एकमुश्त अधिकतम मानदेय प्रतिमाह रु. 10,000.00 (दस हजार मात्र) देय होगा।
- 05. कार्य पर रखे जाने की अधिकतम अवधि 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता/कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग के आवश्यकता के आधार पर एवं चयनित व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर आगे बढ़ाने का निर्णय राज्य कार्यालय द्वारा आबंटन प्राप्त होने पर कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोरबा द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा निश्चित अवधि की समाप्ति पर सेवा स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
- 06. कार्य पर रखा जाना पूर्णतः अस्थायी होगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर चयनित उम्मीदवार को बिना कारण बताये कभी भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद कर्मचारी को किसी प्रकार के पेंशन, भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
- 07. आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम लागू होंगे।
- 08. अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से रखे गये उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु नियोक्ता को आवेदन/न्यायालय में याचिका दायर नहीं करेगा।
- 09. चयनित व्यक्ति को कार्य पर रखे जाने संबंधी पत्र प्राप्ति होने के पश्चात् निर्धारित अवधि में कर्तव्य में उपस्थित होना होगा, अन्यथा मेरिट सूची के अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- 10. टी.ए./डी.ए एवं अन्य भत्तों की पात्रता नहीं होगी।
- 11. एस.टी./एस.सी./ओ.बी.सी. महिला एवं अन्य हेतु आयु सीमा में छूट शासकीय नियमानुसार ही होगा।
- 12. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापिस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने/चयनित/कार्यरत व्यक्ति का कार्य संतोषप्रद न होने/किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार आवेदन/अपील मान्य नहीं होगा। विवाद की स्थिति में सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।

● आवेदन की प्रक्रिया :-

1. आवेदक को लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पीएमश्री शाला का नाम एवं पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता, मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कोरबा क्रेडा आफिस के ऊपर प्रथम तल में स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।
3. आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र/अंकसूची देना अनिवार्य होगा।
4. संलग्न प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रम में संलग्न करेंगे।
5. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावेगा। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वमाणित होनी चाहिए।
6. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी। ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
7. आवेदक का आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2025 को शाम 05:00 बजे तक कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा कोरबा क्रेडा आफिस के ऊपर प्रथम तल में अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

● चयन प्रक्रिया :-

1. चयन अंशकालीन योगा प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/संगीत प्रशिक्षकों का चयन में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के प्राप्ताकों का 20-20 प्रतिशत वेटेज एवं शारीरिक शिक्षा या योगा शिक्षा तथा संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष में स्नातक डिग्री का 50 प्रतिशत वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जावेगा।
2. मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में योगा/खेल प्रशिक्षक/संगीत प्रशिक्षक के रूप में कार्य अनुभव पर अंको का निर्धारण न्यूनतम 1 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष पर प्रत्येक एक वर्ष पर 1 अंक निर्धारित है। (अधिकतम 10 अंक)।
3. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से होने पर ही मान्य किया जावेगा।
4. मेरिट के आधार पर प्रत्येक पीएमश्री विद्यालयों हेतु विज्ञापित पद के विरुद्ध अधिकतम 10 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
5. प्राप्त आवेदनों के छानबीन पश्चात् पात्र एवं अपात्र आवेदनों की सूची जारी कर दावा आपत्ति हेतु 2 दिवस का समय प्रदान किया जायेगा। दावा आपत्ति पर अंतिम निर्णय समिति का होगा।
6. स्कूलवार आवेदन अनुसार दस्तावेजी सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर चयनित पीएमश्री स्कूल जिसके लिये अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
7. सेवा में चयनित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन कराया जायेगा। परीक्षण एवं सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा कोरबा (छ.ग.)

//04//

क्रमांक / 697/समग्र शिक्षा/पीएम श्री/2025-26

कोरबा, दिनांक 16/10/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा जिला कोरबा को सादर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर को सादर सूचनार्थ।
4. जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा कोरबा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कोरबा को सूचनार्थ कर लेख है कि उक्त विज्ञापन को जिला कोरबा की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
6. उपसंचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, जिला कोरबा को सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्तानुसार विज्ञापन को सभी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
7. सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक जिला कोरबा को सूचनार्थ।
8. सर्वसंबंधित प्राचार्य/प्रधानपाठक पीएमश्री विद्यालय....., जिला कोरबा को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/ 699 /समग्र शिक्षा/पीएम श्री/2025-26

कोरबा, दिनांक 16/10/2025

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी
जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषय :- अंशकालिक योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक एवं संगीत शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु विज्ञापन अपलोड करने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिले में संचालित 16 पीएमश्री विद्यालय में अधिकतम 31 मार्च 2026 तक के लिए अंशकालिक योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक एवं संगीत शिक्षक/प्रशिक्षक की सेवाएं लिया जाना है।

उक्त सेवाएं लिये जाने हेतु विज्ञापन जिले के वेबसाईट Korba.gov.in में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न :-विज्ञापन की विवरण एवं फार्म।


जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा कोरबा (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक / 698 / समग्र शिक्षा / पीएम श्री / 2025-26

कोरबा, दिनांक 16/10/2025

// प्रेस विज्ञापित //

जिला कोरबा में पीएमश्री विद्यालय में अंशकालिक खेल/योगा प्रशिक्षक एवं संगीत प्रशिक्षक

जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत जिले में संचालित 16 पीएमश्री विद्यालय में अधिकतम 31 मार्च 2026 तक के लिए अंशकालिक योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक एवं संगीत प्रशिक्षक की सेवाएं लिया जाना है, जिसमें न्यूनतम मानदेय राशि रुपये 10000.00 (रु. दस हजार) मात्र प्रदाय किया जावेगा। योग/खेल प्रशिक्षक हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम शारीरिक शिक्षा या योग शिक्षा में स्नातक डिग्री तथा संगीत प्रशिक्षक हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता अनिवार्य है।

उपरोक्त पद हेतु इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र दिनोंक 26.10.2025 को शाम: 05.00 तक कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, समग्र शिक्षा कोरबा, क्रेडा आफिस के ऊपर प्रथम तल में अनिवार्य रूप प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदक कोरबा जिले में संचालित प्रत्येक पीएमश्री स्कूल हेतु पृथक-पृथक आवेदन, पृथक-पृथक लिफाफे में करना होगा। एक विद्यालय हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर अंतिम प्राप्त आवेदन को सही मानते हुये शेष आवेदन को निरस्त माना जायेगा।

निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे/अमान्य होंगे। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। आवश्यक योग्यता एवं अन्य जानकारी आवेदन पत्र प्रारूप कार्यालय जिला मिशन समन्वयक, रुम नम्बर 04 समग्र शिक्षा कोरबा, क्रेडा आफिस के ऊपर प्रथम तल में चस्पा है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

उपरोक्त पदों से संबंधित आवश्यक योग्यता, नियम एवं शर्तें तथा आवेदन का प्रारूप Korba.gov.in में उपलब्ध है।


जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा कोरबा (छ.ग.)

प्रति,

उपसंचालक
जनसम्पर्क कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक
समग्र शिक्षा कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.)

स्वप्रमाणित पारपोर्ट
फोटो

आवेदित शाळा का नाम.....
विकासखण्ड.....

1. आवेदित पद का नाम -(योग/खेल शिक्षक या संगीत प्रशिक्षक)
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) -
आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी में)
केपिटल लेटर में -
3. पिता/पति का नाम -
4. अ. जन्म तिथि (अंको में) -
ब. जन्म तिथि (शब्दों में) -
स. दिनांक 01.01.2025 को - आयु..... वर्ष..... माह..... दिन.....
द. आयु सीमा में छूट चाहते हैं हां/नहीं
इ. आयु सीमा में छूट का आधार -
5. लिंग (पुरुष/महिला) -
6. शैक्षणिक योग्यता -

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तिक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	हाई स्कूल/दसवीं					
2	हायर सेकेंडरी/बारहवीं					
3	स्नातक					
4						
5						

7. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान हां/नहीं -
8. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता -
दूरभाष नं. सहित.....
.....
.....
9. स्थायी पता -
.....
.....
.....
.....

10. क्या आप शासन द्वारा मान्य अजा/अजजा -

/अपिय के सदस्य है यदि है तो जाति

प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

11. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है

यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल

निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न

करें।

12. क्या आवेदक विकलांग है। यदि हां तो

विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड

सत्यापित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें -

13. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत -

14. पीएमश्री विद्यालय में योग/खेल शिक्षक या संगीत प्रशिक्षक का अनुभव -

हैं/नहीं (अनुभव प्रमाण पत्र/नियुक्ति आदेश की छायाप्रति)

15 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

मोबाईल नं.

घोषणा पत्र

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सत्य है यदि उपरोक्त तथ्य असत्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति/सम्मीद्वारी निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर